(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)

फा. सं. 6/16/2022-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30 दिसंबर, 2022

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

<u>(मामला सं. ए डी (ओ आई) -16/2022)</u>

विषय: चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड'' (पीसीबी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. **फा. सं. 6/16/2022-डीजीटीआर:** इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए) (इसके बाद इसे 'आवेदक ऐसोसिएशन'', अथवा ''आवेदक'' अथवा '' याचिकाकर्ता'' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे ''प्राधिकारी' के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' के रूप में भी कहा गया है) और तत्संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली,1995 (इसके बाद इसे ''नियमावली'' या ''पाटनरोधी नियमावली'' के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. और हांगकांग (इसके बाद इन्हें संबद्ध देशों के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)'' (इसके बाद इसे '' संबद्ध वस्तुएं'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है।

2. आवेदक ऐसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है अथवा वास्तविक क्षति होने की आशंका है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) है। यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, जो लेआउट डेटा या आर्टवर्क के साथ आपूर्ति किया जाता है और कंपोनेंट पर चढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीसीबी को एक तरफ, दो तरफ या अनेक लेयर के रूप में निर्मित या बेचा जाता है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा वर्तमान जांच में 6 लेयर के पीसीबी तक सीमित है। निम्नलिखित पीसीबी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया है:-

क. 6 लेयर से अधिक के पीसीबी
ख. मोबाइल फोन अनुप्रयोगों में प्रयोग
ग. सभी आकार के घने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड

4. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 85 के तहत और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के टैरिफ शीर्षक 8534 0000 "मुद्रित सर्किट" के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, आवेदक ने दावा किया है कि किसी अन्य शीर्षक/टैरिफ मद के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. पीसीबी को मुख्यत: बिजली कनेक्शन के लिए और एक सर्किट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की यांत्रिक सहायता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीसीबी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, केपेसिटर आदि के साथ असेंबल किया गया है। असेंबल करने की प्रकिया में, जो कि ग्राहक के स्तर पर होती है, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए पीसीबी एक कार्यात्मक प्रिंटेड सर्किट एसेंबली (पीसीए) के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ पॉपुलेटेड (अथवा "स्टफ") किया जाता है, जिसे "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली" (पीसीबीए) भी कहा जाता है। पापुलेटेड/स्टफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का प्रयोग साधारण ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से लेकर बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। पीसीबीए का प्रयोग कारों, टेलीफोन, ओवन, खिलौनों, टेलीविजन, कंप्यूटर, लाइट सोल्यूशन आदि में किया जाता है।

<u>उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)</u>

6. आवेदक एसोसिएशन ने आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ आयातित उत्पाद की उचित तुलना करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:-

क्र. सं.	**मानदंड-1- लेयर**	**मानदंड-1 के लिए पीसीएन (2 अंक)**	**मानदंड-2- मैटेरियल टाइप**	**मानदंड-2 के लिए पीसीएन (2 अंक)**	**अंतिम पीसीएन**	**स्पष्टीकरण**
1	सिंगल	एसएस	पेपर फेनोलिक	पीपी	एसएस पीपी	पेपर फिनोलिक से निर्मित सिंगल साइड पीसीबी
2		एसएस	ग्लास इपोक्सी	जीई	एसएस जीई	
3		एसएस	कंपोजिट इपोक्सी	सीई	एसएस सीई	
4		एसएस	एमसीपीसीबी (एल्युमिनियम बैकिंग)	एमसी	एसएसए मसी	
5		एसएस	फ्लेक्सिबल	एफएल	एसएसए फएल	
6	डबल	डीएस	ग्लास इपोक्सी	जीई	डीएसजी ई	
7		डीएस	कंपोजिट इपोक्सी	सीई	डीएससी ई	
8		डीएस	सिरेमिक बेस्ड	सीआर	डीएससी आर	
9		डीएस	एमसीपीसीबी (एल्युमिनियम बैकिंग)	एमसी	डीएसए मसी	
10		डीएस	पॉली टेट्रा फ्लोरो	पीटी	डीएसपी टी	

			इथाइलीन (पीटीएफई)			
11		डीएस	रेडिया फ्रिक्वेंसी	आरआफ	डीएसआरएफ	
12	4 लेयर	4 एल	ग्लास इपोक्सी	जीई	4 एलजीई	
13	6 लेयर	6 एल	ग्लास इपोक्सी	जीई	6 एलजीई	

7. जांच के पक्ष इस जांच के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित पीयूसी/पीसीएन पर अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक गुणो, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों ही उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों वस्तुओं का प्रयोग किया है और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में मानी जा रही है।

ग. संबद्ध देश

9 चीन जन. गण. और हांगकांग से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबद्ध में आवेदन दाखिल किया गया है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि दिनांक 1 जुलाई, 2021 से 30 जून,2022 (12 माह) तक की है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 (15 माह) तथा जांच की अवधि होगी।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

11. यह आवेदन इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए) द्वारा पीसीबी का उत्पादन करने वाली इसकी सदस्य कंपनियों की ओर से दाखिल किया गया है। यह दावा किया गया है कि भारत में पीसीबी के 200 के करीब निर्माता हैं, उनमें से अधिकांश छोटे और असंगठित क्षेत्र में हैं। पीसीबी के भारतीय निर्माता भी एमएसएमई क्षेत्र में हैं और भारत भर में हैं। प्रारंभ में, आवेदक एसोसिएशन ने तीन सदस्य कंपनियों के साथ आवेदन दाखिल किए थे, क्योंकि आवेदक भारत में पीसीबी का निर्माण करने वाली 9 अन्य सदस्य कंपनियों के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्मेट में पूरी सूचना प्रदान कर रहे हैं।

12. बाद में, आवेदक एसोसिएशन ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है वर्तमान आवेदन को व्यापार सूचना संख्या 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021, जो व्यापार सूचना संख्या 11/2021, दिनांक 18 नवंबर, 2021 द्वारा यथा संशोधित है, के तहत दाखिल माना जाए, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि घरेलू उद्योग खंडित है, तो आवेदन को घरेलू उत्पादकों की ओर से एक एसोसिएशन द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे घरेलू उत्पादकों के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) के तहत समान वस्तु के कुल मात्रा घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, इसकी सदस्य कंपनियों ने अनुबंध-I में यथा निर्धारित संगत सूचना दाखिल की है और आवेदक एसोसिएशन ने दिनांक 18 नवंबर, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 11/2021 द्वारा यथा संशोधित व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुबंध-II के तहत यथा निर्धारित पूर्वापेक्षाएं भी पूरी की हैं। आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि इसकी सदस्य कंपनियां पीसीबी का उत्पादन कर रही हैं, जिनमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का 80-90 प्रतिशत शामिल है। कुछ आवेदक उत्पादक, जिन्होंने वर्तमान आवेदन के लिए संगत आंकड़े प्रदान किए हैं, उनके पास कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक है जिन घरेलू उत्पादकों ने अनुबंध-I के अनुसार आंकड़े प्रदान किए हैं, ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

इसके अलावा, वे न तो संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं, और न ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबद्ध हैं।

13. जिन कंपनियों ने संगत आंकड़े प्रदान किए हैं, उनका कुल उत्पादन और जिन कंपिनयों ने आवेदन का स्पष्ट समर्थन किया है, उनका भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 39.82 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। अत: वर्तमान आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

14. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों और दिनांक 18 नवंबर, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 11/2021 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

च. कथित पाटन मार्जिन का आधार
चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, चीन जन. गण. में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत या लागत के आधार पर केवल तभी निर्धारित की जानी चाहिए, यदि चीन जन. गण. के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और कीमत की सूचना बाजार से संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना करती है, अन्यथा संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर की जाए।

16. आवेदक एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत से संबंधित आंकड़े अथवा अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के माध्यम से इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अत: सामान्य मूल्य को तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों का विधिवत समायोजन करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम आकलन के आधार पर निर्मित किया गया है।

हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद भी घरेलू लागत और बिक्री कीमतें उपलब्ध नहीं हैं। अत: सामान्य मूल्य को तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों का विधिवत समायोजन करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्मित किया गया है।

निर्यात कीमत

18. आवेदक एसोसिएशन ने द्वितीयक स्रोत डेटा के अनुसार भारत में सूचित आयातों की सीआईएफ कीमत को लिया है और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बंदरगाह व्ययों, स्वदेशी मालभाड़ा, लोडिंग और अनलोडिंग प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है।

पाटन मार्जिन

19. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकूलित उत्पाद है और इसे ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशनों के आधार पर उत्पादित और बिक्री किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को ग्राहक की जरूरत के आधार पर विभिन्न आकार में निर्मित और बिक्री किया जाता है, जो कुछ वर्ग मिली मीटर से लेकर सौ वर्ग मिली मीटर तक की रेंज में हो सकते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के पीसीबी के लिए, प्रति वर्ग मीटर लागत समान होगी लेकिन प्रति संख्या लागत इसके आकार के आधार पर व्यापक तौर पर भिन्न होगी। इस प्रकार, यह दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को वर्ग मीटर आधार पर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने वर्ग मीटर आधार पर लागत व कीमत की सूचना प्रदान की है।

20. इस प्रकार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर आयात डेटा में जहां कहीं भी पहचान करने योग्य हो, वर्ग मीटर आधार पर की गई है, जो प्रथमदृष्ट्या यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से, पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य

है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

21. आवेदक ऐसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक एसोसिएशन ने भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की वृद्धि की मात्रा के रूप में कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि कथित पाटित आयातों के कारण घेरलू उद्योग को क्षति और क्षति होने की आशंका है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

22. आईपीसीए द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के साक्ष्य,घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का वर्तमान जांच में अनुसरण किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार, ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in और jd16-dgtr@gov.in पर भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/एमएस फार्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को, इस अधिसूचना के पैरा 28 में उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना,पाटनरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से दाखिल करनी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना,पाटनरोधी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों के अनुसार विहित प्रपत्र और विहित ढंग से, इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. समय-सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-

dgtr@gov.in, adv13- dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in और jd16-dgtr@gov पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बताने चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है तो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा

अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के साथ प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ की प्रप्ति के सात (7) दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर उनकी टिप्पणी को भेज सकते हैं।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण और उपयुक्त व्यापार सूचना के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

40. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/अनुरोधों को साझा करना

41. डीजीटीआर की वेबसाइट पर पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनमें सभी को इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल वर्तमान वैश्विक महामारी के चलते भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी